

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2530 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 26 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 सं0-11 (चैनेज सं0-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418 ग्राम-सिरसिया तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र सं0-8 बी/यू0पी0/06/135/2023/एफ0सी0/548 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2297/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 13.03.2024 ।

महोदय,


उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्न

प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	उस प्राधिकारी का नाम जिसमें एफ0 सी0ए0 1980 के उल्लंघन में आदेश पारित किया है और डी0एफ0ओ0 द्वारा उल्लंघन की कार्यवाही की गयी है ?	प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा एफ सी ए 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एच-2 केस जारी किया गया है (छाया प्रति संलग्न है)। तथा धारा-3बी के तहत कार्यवाही की गयी है (प्रति संलग्न है) ।
2	प्रभागीय वनाधिकारी,(डी0एफ0ओ0) यह सुनिश्चित करे कि प्रभाग में कोई भी अन्य खुदरा दुकान सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बिना संचालित नहीं हो रही है?	प्रभाग के अन्तर्गत अन्य कोई भी रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प बिना अनुमति के संचालित नहीं है यदि कोई संचालित पाये जाते हैं तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय


(जगदीश ओर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

2022/23

सामाजिक न्यायिक प्रभाग, देवरिया

आदेश संख्या ३३१/२०२२ दिनांक १३-६-२०२२

संज्ञक संख्या ३३१/२०२२ देवरिया बीट रामपुरकात्या

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता
सतलज सिंह w/o अरुण सिंह
श्रीन - काशीपुर पोस्ट पहरवा धा- देवरिया

2. गवाह के नाम, धारण तथा पता
① सुधाकर चंद्र धारण वन देवरिया
② विक्रम कुमार सिंह वरौ

3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया-जसपुर भाग K 11-12 के अध्याय पर
पट्टी पर शय-सिंहिया धा- रामपुरकात्या जि- देवरिया में
एक बैड अर्जुन राजी ग्राह ३०-३० तथा ३५x३२x३६ = ३६६.१ वर्ग मी
तथा सिंह शक्ति का किरा अर्जुन का गैर न्यायिक प्रयोग किया
गया।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. मूल हानि का मूल्यांकन सामाजिक न्यायिक

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान X

प्रहोष्य, आज दि 13-6-2022 को धा
श्रीन तथा जीव के सम्बन्ध में टिप्पणियां
शिकायत के अनुसार समय लकड़ियां
स्थल देवरिया कपूर स्थान पर धुंधी गयी। जहाँ पर एक बैड अर्जुन का
डूट पाया गया जिसका सनस्ट नम्बर ३६६.१ से अधिक था। एवं ३५x३२x३६
किमी जमीन का किरा अर्जुन का गैर न्यायिक प्रयोग किया
गया। एड. लाल पर धा- देवरिया के देवरिया कपूर के
कालिका सुरिहा सिंह धा- अरुण सिंह के द्वारा एड. लाल पर धा-
की धार ३६ के वन से ३०/३० का अर्जुन किरा गैर न्यायिक प्रयोग
किया गया।

39/09/2022-23

प्रमाणित कर नं 20

रेजि. अधिकारी दुपारिया

वृत्तीय प्रशासक/अधीनस्थ/...

नं-629001-...

हृदय आपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशय भेजें।

दिनांक 15/06/2022

प्रभागीय निदेशक
राज्य वन-अधिकारी
देवरिया

अन्य अधिकारियों को रिपोर्ट भेजें।
साथ ही कृपया रिपोर्ट में...
स्थापित की...
प्रमाणित कर नं-629001-...
रिपोर्ट नं-...
दिनांक 15/06/2022

प्रभागीय निदेशक
राज्य वन-अधिकारी
देवरिया

रेजि. अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट तथा सिबनरिस
RE. N. 09/2022-23

उक्त केस की जांच...
अभिप्रेत हय...
E3140.12946/55 दिनांक 1-8-2023 ले हय 1.50,000:00 पर...
56 दिनांक 2-8-2023 ले हय 12900:00 वजहसे नष्ट किया गया है।

अंतिम निर्णय
वचनार्थि अधिकारी

द्वारा प्रमाणित

को उपरोक्त अंतिम प्रतिक्रिया के अनुसार...
अनुमति दी जाती है...
संबन्धित सामान को क्रम सं...
परीक्षा जफ्त किया जाता है...
हस्ताक्षर...
नं-629001-...

प्रभागीय निदेशक
राज्य वन-अधिकारी
देवरिया
दिनांक 20

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध रिपोर्ट नं० दिनांक २६/१०/२०२३ रोज देवरिया वीट राजापुरा

रेज केस नम्बर 38/2023-24 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता सोरठा सिंह जी. श्री रामेश्वर सिंह ग्राम - कुडी बरौली, पोस्ट - पचरौली थाना - देवरिया जिला - देवरिया।
2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता अनुपम सिंह कुडी बरौली देवरिया

3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया, कसगा गांव बि.सी. ११ से १२ के गडग दूधो पतरो पर गांव - सिरोसगा, थाना - राजपुर कारखाना जिला देवरिया में किंग गार्ड अरुण क. अनुपम का ०७१५०३२ संरक्षण वन भूगण्ड और गोमती परियोजना जिला जे. वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के चार ३ (बी) का उल्लंघन।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

चालान देवरिया जिला पर देवरिया, कसगा गांव बि.सी. ११ से १२ के गडग दूधो पतरो पर गांव - सिरोसगा, थाना - राजपुर कारखाना जिला - देवरिया स्थित देवरिया परियोजना के अंतर्गत की गयी है। जहाँ पर ०७१५०३२ संरक्षण वन भूगण्ड और गोमती परियोजना जिला जे. वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के चार ३ (बी) का उल्लंघन किया है।